

कार्यालय आधुनिक उच्च शिखा म.प्र. शासन
अभासकीय वैज्ञानिक संस्थाओं से संबंधित शाखा।
ई-2/84, महावीर नगर, भोपाल

प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान - 26।।।। के अन्तर्गत

प्रमाण-पत्र

प्राचार्य श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई नगर द्वारा पत्र क्रमांक निल दिनांक 4 अप्रैल 95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की पारा 26।।।। V के अन्तर्गत महाविद्यालय में सत्र 97-98 से नया अभासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की कक्षाएँ प्रारंभ किये जाने के लिये आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

- 1- बी.काम. भाग-प्रथम सभी अनिवार्य विषय 97-98
- 2- बी.काम. भाग-प्रथम कम्प्यूटर सफ्टवेरेज अतिरिक्त विषय 97-98
- 3- बी.एस-सी. भाग-प्रथम

आधार पाठ्य., भौतिक शा., रसायन
शास्त्र, कम्प्यूटर साइंस, गणित,
इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमेट्री

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दि. 12.7.97 पर विचार करने के उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय की विषय परिषद के प्रावधान 26।।।। V विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्रथक कार्य परिषद के विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान 24 IX।।।। के अन्तर्गत एक वर्ष के लिये अस्थायी अनुमति दो जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष भासकी मिकाय गंगाजली सजुकेशन सोसायटी, महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है। जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम की पारा 26।।।। V के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें। आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. संस्था द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करना। अनिवार्य होगा एवं नियुक्ति आदेश को प्रतिनिधि इस कार्यालय को प्रेषित करना होगा।

निरन्तर....

कार्यालय आधुनिक उच्च शिखा म.प्र. शासन
अभासकीय वैज्ञानिक संस्थाओं ते संबंधित शाखा।
ई-2/84, महावीर नगर, भोपाल

प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान - 26।।।। के अन्तर्गत

प्रमाण-पत्र

प्राचार्य श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई नगर द्वारा पत्र क्रमांक निल दिनांक 4 अप्रैल 95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की पारा 26।।।। V के अन्तर्गत महाविद्यालय में सत्र 97-98 से नया अभासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की कक्षाएँ प्रारंभ किये जाने के लिये आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

- | | |
|---|-------|
| 1- बी.काम. भाग-प्रथम सभी अनिवार्य विषय | 97-98 |
| 2- बी.काम. भाग-प्रथम कम्प्यूटर सफ्टवेरेशन अतिरिक्त विषय | 97-98 |
| 3- बी.एस-सी. भाग-प्रथम | |

आधार पाठ्य., भौतिक शा., रसायन
शास्त्र, कम्प्यूटर साइंस, गणित,
इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमेट्री

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दि. 12.7.97 पर विचार करने के उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय की विषय परिषद के प्रावधान 26।।।। V विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्रथक कार्य परिषद के विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान 24 IX।।।। के अन्तर्गत एक वर्ष के लिये अस्थायी अनुमति दो जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष भासकी मिकाय गंगाजली सजुकेशन सोसायटी, महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है। जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम की पारा 26।।।। V के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें। आवश्यक गते निम्नानुसार हैं:-

- 1। संस्था द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करना। अनिवार्य होगा एवं नियुक्ति आदेश को प्रतिनिधि इस कार्यालय को प्रेषित करना होगा।

निरन्तर....